ई-ऑफिस पत्रावली संख्या- 9-5002(002)/309/2023
संख्या- 331 /2024/नौ-5-2024 /001-Com.No.-1761145

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पीलीभीत
जनपद-पीलीभीत।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत में जल निकासी से संबंधित परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत के पत्र संख्या-147/23, दिनांक 24.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत में जल निकासी से संबंधित परियोजनाओं हेतु कुल रूपये 721.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रूपये 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-511-X-2023-24, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
27.02.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या- 331(1) /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.-1761145, तद् दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
27.02.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या- 331 /2024/नौ-5-2024 /001-Com.No.-1761145, दिनांक 27.02.2024 का संलग्नक

क्र0सं0	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, पीलीभीत, जनपद–पीलीभीत	1–वार्ड सं0 12 पी0सी0एफ0 गोदाम से आई0टी0आई0 पुलिया तक दोनों साइड नाला दीवार ऊंचा करने का कार्य।	18.46	
		2– वार्ड सं0 7 में वीरेन्द्र मौर्य के मकान से टनकपुर रोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	16.26	
		3– वार्ड सं0 25,19 में एस0एस0बी0 आफिस से मुख्य नाले तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	13.71	
		4– वार्ड सं0 4,8 में बाढ़ खण्ड ऑफिस से आवास विकास चौराहा से एल0आई0सी0 आफिस को ओर।	39.98	
		5– डिग्री कालेज चौराहा से नौगवा चौराहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	57.04	
		6– वार्ड नं0–8 में पुराने सीवर पम्प से इनकम टैक्स कार्यालय की ओर आर0सी0णी0 नाला निर्माण कार्य।	39.77	
		7– वार्ड नं0 4 में नेहरू पार्क के कोने से जलनिगम कार्यालय के कोने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	38.07	
		8– वार्ड 4 में आर्यन डिजिटल शॉप से ज्वाला देवी मंदिर की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	19.31	
		9– वार्ड 9 में शिवशक्ति लॉन से टनकपुर रोड की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	21.04	
		10– वार्ड 16 सहकारी समिति से कांग्रेस कार्यालय तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	37.19	
		11– वार्ड नं0 5 में साई धाम मंदिर से पम्प हाउस होते हुए सिंचाई विभाग कार्यालय तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	36.52	
		12– वार्ड नं0 16 आर0एन0 कलर लैब से सत्यम डायग्नोसिक्स तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	34.55	
		13– वार्ड नं0 9 विशाल मेगामार्ट से उपाधि कालेज की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	35.96	
		14– पम्प बैट्री से निर्मल एजेंसी तक निर्मल	35.25	

		एजेंसी तक		
		15– वार्ड नं0 9 सतीश नर्सिंग होम से डिग्री कालेज की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	36.29	
		16– ई–टायलट से अंकित स्टोर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	36.73	
		17– नौगवां चौराहा से गन्दा नाला पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	83.83	
		18–वार्ड नं0 15 में जागनलाल के मकान से खकरा नदी की ओर नाला निर्माण करने का कार्य	31.59	
		19– वार्ड नं0 10 में बनवारी लाल गुप्ता से नई बस्ती चौराहा तक नाला कवर्ड करने का कार्य	13.18	
		20– वार्ड नं0 5 गीता कालोनी में रामकुमार गंगवार से शिमंदिर होते हुए बकनटी चौकी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.88	
		21– वार्ड नं0 8 आवास विकास पेट्रोल पम्प से एवं सरफराज फात्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	37.23	
		योग	**721.84**	**200.00**

27.02.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-27/02/2024

प्रेषण संख्या:- 331
आवंटन आदेश संख्या:- 001-331-2024-9-5-2024-001-CN-1761145
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 24500000	20000000 24500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 24500000	20000000 24500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव